अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0

परिपत्रॉक डी-34/अधि0-रिट/ दिनॉकः लखनऊः अगस्त 13 2015

1-समस्त सचिव /मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि0 उ0प्र0।

2-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0।

3-समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0।

विषय- <u>विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने, त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करने एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में ।</u>

कृपया विभागीय समीक्षा बैठको एवं समय-समय पर दूरभाष पर दिये गये निर्देशो का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको सतत रूप से यह निर्देश दिये जाते रहे है, कि मा0 उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों मे लम्बित वादो में शतप्रतिशत प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुये वाद के त्वरित निस्तारण हेत प्रभावी पैरवी करायें साथ ही मा0 न्यायालय द्वारा वाद में दिये गये निर्णयादेशों का यथाविधि अनुपालन/अपील समयान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें, किन्तु आपके द्वारा इसे गम्भीरता से न लिये जाने के कारण लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे है कि वाद में विलम्ब से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के कारण कास्ट अधिरोपित की जा रही है, प्रभावी पैरवी न किये जाने के कारण प्रमुख सचिव/विभागीय उच्चाधिकारियों को मा0 न्यायालय के व्यक्तिगत रूप से समय से उपस्थित होने के निर्देश एवं पारित निर्णयादेशो के अनुपालन न होने के कारण अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्ति जनक है एवं इस तथ्य का धोतक है कि आपके द्वारा वादों की प्रभावी पैरवी न करने और इस कार्य मे व्यक्तिगत उदासीनता के परिणामस्वरूप उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय दुर्बल बैंको के निक्षेप कर्ताओं एवं कार्यरत कर्मचारियो द्वारा भी मा0 न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत की गयी है जिसमें बैंक स्तर से प्रभावी पैरवी न होने के कारण बैंक के प्रतिकूल एकपक्षीय निर्णय हुआ व उक्त निर्णय का अनुपालन/निर्णय के विरूद्व समयान्तर्गत अपील न किये जाने के कारण अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निक्षेप कर्ताओ एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वादो सहित अन्य समस्त वादो में शतप्रतिशत प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुये वाद के त्वरित निस्तारण हेतु वाद के सम्बन्ध मे अपना प्रभावी पक्ष ढंग से प्रस्तुत करें। यदि अब किसी भी वाद में प्रतिशपथ पत्र न दाखिल कराये जाने अथवा समुचित पैरवी के अभाव में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई विपरीत निर्णय पारित किया जाता है तो इसे गम्भीरता से लेते हुये आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।